न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्या:– 24/2022

1. स्व.मोडाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
   1/1 – रूखमा पत्नि मोडाराम
   1/2 – हिमताराम पुत्र मोडाराम
   1/3 – रामस्वरूप पुत्र मोडाराम
   1/4 – राधा पुत्री मोडाराम
   1/5 – किस्तुरी पुत्री मोडाराम
   1/6 – सीता पुत्री मोडाराम
   1/7 – द्रोपती पुत्री मोडाराम
2. तुलछाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. कुम्भाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. मनसाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मोतीराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. फेफादेवी पत्नि मुकनाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. रामकरण पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. राजेन्द्र पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. ओपादेवी पत्नि पुरखाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. आदुराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. नन्दलाल पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
10. मदनलाल पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
11. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

12. सुरजाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एड. वास्ते वादीगण
2. जगदीश प्रजापत एड. वास्ते प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ता 10 व गौण प्रतिवादी संख्या 12

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

—: निर्णय :—

दिनांकः— 13-01-2023

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि खेत खसरा संख्या 100 तादादी 0.1897 हेक्टेयर, खसरा संख्या 93 तादादी 7.5372 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 7.7269 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसे आगे "वादगत भूमि" के नाम से पुकारा गया है। वादगत भूमि खेत पहले वादीगण के दादा नथाराम के खातेदारी अधिकार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में थे। वादीगण के दादा नथाराम के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि खेत भींयाराम व फूसाराम के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में रहे। नथाराम का बडा पुत्र भींयाराम होने के कारण राजस्व कर्मचारीयों ने वादगत खेत अकेले भींयाराम के नाम दर्ज कर दिया। जबकि कब्जा काश्त उपयोग उपभोग दोनों भाइयों का बराबर बराबर का था। राजस्व कर्मचारीयों को वादगत भूमि खेत को दोनों भाईयों के नाम से बराबर हिस्सा बराबर दर्ज करना था। लेकिन ऐसा नहीं किया। आज से कई वर्ष पूर्व जब भींयाराम व फूसाराम ने अपने खेतों का आपसी सहमति से मौखिक विभाजन किया तो वादगत भूमि खेत आपसी सहमति से फूसाराम के हिस्सा पांति भाई बंटवारा में आया। और मौखिक विभाजन करने के बाद कई वर्षों तक वादगत खेत का फूसाराम ने उपयोग उपभोग किया ओर कब्जा काश्त अकेले फूसाराम का रहा है। फूसाराम का भी कई वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। फूसाराम के स्वर्गवास के बाद से आज दिनांक तक वादगत भूमि खेत पर वादीगण व गौण प्रतिवादी का कब्जा काश्त है और वादीगण व गौण प्रतिवादी फूसाराम के स्वर्गवास से वादगत भूमि खेत का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का वादगत भूमि खेत पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा और ना ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने वादगत भूमि खेत का कभी उपयोग उपभोग किया है। वादगत भूमि खेत केवल भींयाराम बडा पुत्र होने के नाते उसके अकेले के नाम दर्ज हुआ है। जबकि वादगत भूमि वादीगण की पुस्तेनी भूमि है। वादगत भूमि में वादीगण व गौण प्रतिवादी कई वर्षों से ढाणीयां बनाकर परिवार पशुधन सहित निवास कर रहे है। वादीगण की ना जानकारी के आज दिनांक तक राजस्व रेकार्ड को संशोधन नहीं करवाया गया। वादगत भूमि खेत पर पहले फूसाराम का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग होने से व उसके स्वर्गवास के बाद से वादगत भूमि खेत पर वादीगण व गौण प्रतिवादी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग होने से वादीगण का एडवर्ष पजेशन (कब्जा परिपक्व) हो चुका है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज खातेदारी भी अवैध है। और एडवर्ष पजेशन के आधार पर उनके नाम दर्ज खातेदारी समाप्त हो चुकी है। वादीगण व गौण प्रतिवादी वादगत खेत के घोषित रूप

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

खातेदार कृषक हो चुके है और अपने नाम खातेदारी अंकित कराने के कानुनी अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के मन में वादगत भूमि खेत अपने नाम खातेदारी में दर्ज होने के कारण लालच आ गया ओर वोह किसी भी समय वादीगण व गौण प्रतिवादी को वादगत भूमि खेत से बेदखल कर सकते है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा प्राप्त करना के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 से दिनांक 1.4.2022 को आपसी तौर पर खातेदारी में संशोधन कराने का निवेदन किया तो उन्होनें खातेदारी में संशोधन कराने से साफ इन्कार कर दिया ओर वादीगण को ऐलानियां तोर पर धमकियां दी गई की वादगत भूमि खेत हमारे नाम से खातेदारी में दर्ज है इस कारण हम वादगत भूमि खेत सम्पूर्ण को किसी अजनबी को विक्रय करके उनका कब्जा करवाकर ही रहेगें। यही दावे का कारण है। वादीगण को वादाधार वादगत भूमि खेत कई वर्षो से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में होने से प्राप्त है। कृषि भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार को 2 माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए राजस्थान सरकार को 2 माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इस कारण वादीगण द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का है। वादगत भूमि खेत रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है और दावा निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है। वादगत भूमि में गौण प्रतिवादी का भी वादीगण के समान हित निहित है लेकिन गौण प्रतिवादी वर्तमान में गांव से बाहर होने के कारण उसको वादीगण में शामिल नहीं किया जा सका ओर उसको गौण प्रतिवादी में शामिल किया है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। दौराने दावा वादी संख्या 1 मोडाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान रेकार्ड पर आ चुके है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ता 10 व गौण प्रतिवादी संख्या 12 की तरफ से ईकबाल जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पेरोकार राज की तरफ से प्रतिवादी संख्या 11 ने दावा में राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादीगण ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी संवत 2076–2079 की प्रमाणित प्रति पेश की।

Scanned with CamScanner

बहस वकुलान की सुनी गई। वकुलान ने भी अपनी बहस में दावा को डिक्री करने का निवेदन किया। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादीगण की ओर से वादगत भूमि उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की पुस्तेनी भूमि होना तथा वादगत भूमि वादीगण के कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा संख्या 100 तादादी 0.1897 हेक्टेयर, खसरा संख्या 93 तादादी 7.5372 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 7.7269 हेक्टेयर भूमि में वर्तमान खातेदारों की खातेदारी खारीज की जाकर उनका नाम हटाने का आदेश दिया जाता है। वादगत भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि रूखमा पत्नि मोडाराम, हिमताराम, रामस्वरूप, राधा, किस्तुरी, सीता, द्रोपती पिता मोडाराम जाति जाट निवासी साजनसर के नाम से ब.हि.ब. व 2/3 हिस्सा भूमि तुलछाराम, सुरजाराम पिता फूसाराम जाति जाट निवासी साजनसर के नाम से ब.हि.ब. दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-01-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner